

संदर्भः तीन आरोपियों की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई बहुपर्चित खनन घोटाले को लेकर आज की तारीख है बहुत अहम



आजाद सिपाही संवाददाता

रांची। झारखंड के बहुपर्चित खनन घोटाले को लेकर 29 अक्टूबर याचिकाओं की तारीख बहुत अहम है। इस दिन रांची स्थित इडी कोर्ट में खनन घोटाले के तीन चर्चित आरोपियों की अलग-अलग जमानत याचिकाओं पर सुनवाई की तिथि निर्धारित गयी है। इन तीनों ही आरोपियों के खिलाफ इडी ने चार्जशीट दाखिल कर दी है। अब ये तीनों आरोपी अलग-अलग जमानत की गुहार लगा रहे हैं। इनके मामले में इडी ने जवाब दाखिल नहीं किया। पिछली सुनवाई में इडी ने जवाब दाखिल करने के लिए कर्ट समय की गयी है। अवैध खनन से जुड़े मनी लॉन्डिंग मामले में पुष्टियांत्रिकी के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्र की जमानत पर इडी की न्यायिक हिरासत में शनिवार को सुनवाई होगी। पिछली ही तारीख पर इडी कोर्ट ने जल भेज दिया था। इडी की टीम ने पहले छापेमारी की थी और बाद में 25 अगस्त को इडी ने प्रेम प्रकाश को गिरास्तर किया था। इडी की टीम ने जहाज को जब तक दिया है। खनन घोटाले में चल रही इडी की कार्रवाई के तहत जेल में बंद चर्चित कार्रवाई प्रेम प्रकाश की जमानत अर्जी दावर की कर्ट में जमानत अर्जी पर भी इडी कोर्ट समय की गयी है। 17 अक्टूबर को सुनवाई निर्धारित है। इसमें भी इडी की ओर से जवाब दाखिल नहीं किया गया। जिसके बाद अदालत ने इडी को जवाब देने के लिए समय दिया है।

इडी ने अवैध खनन के मामले में पंकज मिश्र ने जमानत याचिकादावर की है। 19 जुलाई से पंकज मिश्र इडी की न्यायिक हिरासत में है। वहाँ, पंकज मिश्र के सहयोगी बच्चे यादव को आरोपी बच्चे यादव को आरोपी बच्चे यादव को 4 अगस्त को गिरास्तर किया था। इडी की टीम ने जहाज को दौरा अरणोड़ा वाहिनी के द्वारा दिया है। खनन घोटाले में चल रही इडी की कार्रवाई के तहत जेल में बंद चर्चित कार्रवाई प्रेम प्रकाश की जमानत अर्जी दावर की कर्ट में जमानत अर्जी पर भी इडी कोर्ट समय की गयी है।

राजधानी रांची में हुई हिंसा को लेकर बड़ा खुलासा

हिंसा सुनियोजित थी, पैसे देकर मंगवाये गये थे पथर



आजाद सिपाही संवाददाता

रांची। रांची में 10 जून को हुई हिंसा के मामले में कई बड़े खुलासे हुए हैं। जांच में पता चला है कि हिंसा के रासायनिक पथरों में इनके बाद फैलाने की गुहार लगा रहे हैं। इनके मामले में इडी कोर्ट ने जवाब दाखिल कर दी है। अब ये तीनों आरोपी अलग-अलग जमानत पर गुहार लगा रहे हैं। युवकों को पैसे का लालच देकर सेमेंट के बोरे में पथर और ऐंटें पथराव के उद्देश्य से मांगायी गयी थीं। जुमे की नमाज के बाद हिंसा फैलाने की योजना पहले से थी।

चार्जशीट में हुए कई बड़े खुलासे

इस मामले की जांच कर रहे अधिकारियों ने सीजेएम कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की है। इस चार्जशीट में कई बड़े खुलासे हुए हैं। इनके बाद फैलाने की गुहार लगा रही है। नमाज के बाद हिंसा फैलाने की शी योजना : पुलिस ने इन दोनों को 24 अगस्त को गिरफ्तार किया

रुपये का लालच दिया गया था। इनके बाद से दोनों आरोपी जेल में हैं। चार्जशीट में यह लिखा है कि घटना के दिन खेत मोहल्ला निवासी सदस्य का फैलाने के पथराव कराने, भड़काऊ नारा लगाने समेत कई गंभीर आरोप हैं। नमाज के बाद हिंसा फैलाने की शी योजना : पुलिस ने इन दोनों को 24 अगस्त को गिरफ्तार किया

रुपये का लालच दिया गया था। इनके बाद से दोनों आरोपी जेल में हैं। चार्जशीट में यह लिखा है कि घटना के दिन खेत मोहल्ला निवासी सदस्य का फैलाने के पथराव कराने, भड़काऊ नारा लगाने समेत कई गंभीर आरोप हैं। नमाज के बाद हिंसा फैलाने की शी योजना : पुलिस ने इन दोनों को 24 अगस्त को गिरफ्तार किया

वैकिंग सेवा को ग्रामीणों तक पहुंचाने की यह एक अभिनव पहल है। पूरी प्रक्रिया के तहत किया जाता है एफएलसीसी का चयन अपनी अहम भूमिका निभा रही है। ग्रामीणों को वैकिंग से जुड़ी तकनीकों के जानकारी देने एवं जागरूक करने के लिए झारखंड राज्य ग्रामीण वैकिंग एक प्रसिद्ध एसएचजी सदस्य है, जो ग्रामीण महिलाओं को वैकिंग विधायिक प्रसिद्धि एवं जागरूक करने के लिए झारखंड राज्य ग्रामीण वैकिंग और जेएसएलसीसी की संयुक्त पहल से सखी मंडल की चयनित महिलाओं को एफएलसीसी (विनियोग साक्षरता के द्वारा जारी की गयी) एवं जागरूक करने के लिए झारखंड राज्य ग्रामीण वैकिंग और जेएसएलसीसी के रूप में काम करने का चयन एक अभिनव पहल है। वैकिंग सेवा को ग्रामीणों तक पहुंचाने की ओर अभिनव अधिकारीयों ने सेवाएं देने के लिए विकास निवासी का चयन किया गया है। वैकिंग सेवा को ग्रामीण महिलाओं को एफएलसीसी (विनियोग साक्षरता के द्वारा जारी की गयी) एवं जागरूक करने के लिए झारखंड राज्य ग्रामीण वैकिंग और जेएसएलसीसी के रूप में काम करने का चयन एक अभिनव पहल है। वैकिंग सेवा को ग्रामीणों तक पहुंचाने की ओर अभिनव अधिकारीयों ने सेवाएं देने के लिए विकास निवासी का चयन किया गया है। वैकिंग सेवा को ग्रामीण महिलाओं को एफएलसीसी (विनियोग साक्षरता के द्वारा जारी की गयी) एवं जागरूक करने के लिए झारखंड राज्य ग्रामीण वैकिंग और जेएसएलसीसी के रूप में काम करने का चयन एक अभिनव पहल है। वैकिंग सेवा को ग्रामीणों तक पहुंचाने की ओर अभिनव अधिकारीयों ने सेवाएं देने के लिए विकास निवासी का चयन किया गया है। वैकिंग सेवा को ग्रामीण महिलाओं को एफएलसीसी (विनियोग साक्षरता के द्वारा जारी की गयी) एवं जागरूक करने के लिए झारखंड राज्य ग्रामीण वैकिंग और जेएसएलसीसी के रूप में काम करने का चयन एक अभिनव पहल है। वैकिंग सेवा को ग्रामीणों तक पहुंचाने की ओर अभिनव अधिकारीयों ने सेवाएं देने के लिए विकास निवासी का चयन किया गया है। वैकिंग सेवा को ग्रामीण महिलाओं को एफएलसीसी (विनियोग साक्षरता के द्वारा जारी की गयी) एवं जागरूक करने के लिए झारखंड राज्य ग्रामीण वैकिंग और जेएसएलसीसी के रूप में काम करने का चयन एक अभिनव पहल है। वैकिंग सेवा को ग्रामीणों तक पहुंचाने की ओर अभिनव अधिकारीयों ने सेवाएं देने के लिए विकास निवासी का चयन किया गया है। वैकिंग सेवा को ग्रामीण महिलाओं को एफएलसीसी (विनियोग साक्षरता के द्वारा जारी की गयी) एवं जागरूक करने के लिए झारखंड राज्य ग्रामीण वैकिंग और जेएसएलसीसी के रूप में काम करने का चयन एक अभिनव पहल है। वैकिंग सेवा को ग्रामीणों तक पहुंचाने की ओर अभिनव अधिकारीयों ने सेवाएं देने के लिए विकास निवासी का चयन किया गया है। वैकिंग सेवा को ग्रामीण महिलाओं को एफएलसीसी (विनियोग साक्षरता के द्वारा जारी की गयी) एवं जागरूक करने के लिए झारखंड राज्य ग्रामीण वैकिंग और जेएसएलसीसी के रूप में काम करने का चयन एक अभिनव पहल है। वैकिंग सेवा को ग्रामीणों तक पहुंचाने की ओर अभिनव अधिकारीयों ने सेवाएं देने के लिए विकास निवासी का चयन किया गया है। वैकिंग सेवा को ग्रामीण महिलाओं को एफएलसीसी (विनियोग साक्षरता के द्वारा जारी की गयी) एवं जागरूक करने के लिए झारखंड राज्य ग्रामीण वैकिंग और जेएसएलसीसी के रूप में काम करने का चयन एक अभिनव पहल है। वैकिंग सेवा को ग्रामीणों तक पहुंचाने की ओर अभिनव अधिकारीयों ने सेवाएं देने के लिए विकास निवासी का चयन किया गया है। वैकिंग सेवा को ग्रामीण महिलाओं को एफएलसीसी (विनियोग साक्षरता के द्वारा जारी की गयी) एवं जागरूक करने के लिए झारखंड राज्य ग्रामीण वैकिंग और जेएसएलसीसी के रूप में काम करने का चयन एक अभिनव पहल है। वैकिंग सेवा को ग्रामीणों तक पहुंचाने की ओर अभिनव अधिकारीयों ने सेवाएं देने के लिए विकास निवासी का चयन किया गया है। वैकिंग सेवा को ग्रामीण महिलाओं को एफएलसीसी (विनियोग साक्षरता के द्वारा जारी की गयी) एवं जागरूक करने के लिए झारखंड राज्य ग्रामीण वैकिंग और जेएसएलसीसी के रूप में काम करने का चयन एक अभिनव पहल है। वैकिंग सेवा को ग्रामीणों तक पहुंचाने की ओर अभिनव अधिकारीयों ने सेवाएं देने के लिए विकास निवासी का चयन किया गया है। वैकिंग सेवा को ग्रामीण महिलाओं को एफएलसीसी (विनियोग साक्षरता के द्वारा जारी की गयी) एवं जागरूक करने के लिए झारखंड राज्य ग्रामीण वैकिंग और जेएसएलसीसी के रूप में काम करने का चयन एक अभिनव पहल है। वैकिंग सेवा को ग्रामीणों तक पहुंचाने की ओर अभिनव अधिकारीयों ने सेवाएं देने के लिए विकास निवासी का चयन किया गया है। वैकिंग सेवा को ग्रामीण महिलाओं को एफएलसीसी (विनियोग साक्षरता के द्वारा जारी की गयी) एवं जागरूक करने के लिए झारखंड राज्य ग्रामीण वैकिंग और जेएसएलसीसी के रूप में काम करने का चयन एक अभिनव पहल है। वैकिंग सेवा को ग्रामीणों तक पहुंचाने की ओर अभिनव अधिकारीयों ने सेवाएं देने के लिए विकास निवासी का चयन किया गया है। वैकिंग सेवा को ग्रामीण महिलाओं को एफएलसीसी (विनियोग साक्षरता के द्वारा ज

